5- घरेलू उत्प्रवाह जिसकी मात्रा 0.1 कि0ली0/दिन से अधिक नहीं होगी, को सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धीकृत कर निस्तारित किया जाये |

6- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित संयंत्रों तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में एक माह के अन्तर्गत अवश्य प्रस्तुत की जाये |

7- उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना प्रस्ताव के अनुसार इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये जिससे उत्सर्जन बोर्ड मानकों के अनुरूप रहे |

8- उद्योग परिसर में 33 प्रतिशत भूभाग में वृक्षारोपण किया जाय तथा हरित पट्टिका भी विकसित की जाये |

9- उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ट का निस्तारण करने हेतु उचित स्थान का चयन कर सूचना प्रेषित की जाये |

10- उद्योग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था स्थापित की जाये | उक्त की डिजायन डिटेल एक माह में प्रेषित करना सुनिश्चित करें |

11- संचालन से पूर्व ट्रायल उत्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्रों के साथ जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त की जाये |

12- उद्योग द्वारा बोर्ड से परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु प्राधिकार प्राप्त किया जाये |

13- इकाई द्वारा पर्यावरण संरक्षण नियमावली 1986 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के क्रमांक 37 एवं बोर्ड द्वारा जारी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया जायेगा | बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये | उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में एक माह के अन्तर्गत प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये | अनुपलन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी |

भवदीय

(राम गोपाल)

क्षेत्रीय अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या ..../एन0ओ0सी0 तद दिनांक ....

प्रतिलिपिः मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है |

क्षेत्रीय अधिकारी

V. P. Singh
Assistant Manager (R.S.) Faizabad S.A
Indian Oil Corporation Ltd. (MD)
Gorakhpur Divisional Office
Gorakhpur